संख्या-244/2017/244/21-3-2017-18/2016

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
नया हैदराबाद,लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक: 17 अक्टूबर, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु रुपये 20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृत के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पत्र संख्या-322/सं० सं० /2017-18 दिनांक18.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18मे प्रावधानित रुपये 40.00 लाख(रुपये चालीस लाख मात्र) में से रुपये 20.00 लाख(रुपये बीस लाख मात्र)की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि संस्थान की कर्यकरितनी के अनुमोदनोपरांत निर्धारित मद पर व्यय की जाएगी। किसी अन्य मद पर उक्त धनराशि कदापि नहीं व्यय की जायेगी ।उक्त अनुदान की धनराशि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी और उसका बिल अनुसचिव (लेखा) /आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ।आहरित धनराशि किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नही किया।

(2) उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये हैं।

(3) उपरोक्त धनराशि का व्यय विवरण 31 मार्च, 2018 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-** 039 **लेखा शीर्षक** 2202-सामान्य शिक्षा -आयोजनेत्तर -03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता -07-उ.प्र. संस्कृत संस्थान को संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान मद 20 -सहायता अनुदान - सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 2 जनवरी, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03 अगस्त , 2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या- 244(1)/21-3-2017-18/2016, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय , उ० प्र०, इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
8. भाषा (उर्दू)अनुभाग-4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आद्यादत्त त्रिपाठी)
अनुसचिव (भाषा)।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।